न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 84/2016 जिला सीकर ।

1. हणुत सिंह पुत्र स्व. श्री फूल सिंह , जाति राजपूत, निवासी ग्रम जुलियासर , तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
2. लक्ष्मण सिंह राठौड पुत्र श्री रतन सिंह राठौड, जाति राजपूत, निवासी हाउस नम्बर 1102–अ, सैक्टर नम्बर 29, फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती जोरा कंवर पुत्री स्व. श्री फूल सिंह धर्मपत्नी श्री भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम जालनियासर, तहसील जायल, जिला नागौर ।
2. मो.ती सिंह पुत्र स्व. श्री फूल सिह , जाति राजपूत, निवासगाम जुलियासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
3. भंवर कंवर पुत्री स्व. श्री फूल सिंह (फौत)

3/1 कल्याण सिंह

3/2 मोहन सिंह

3/3 हनुमान सिंह

3/4 रणवीर सिंह

3/5 दातार सिंह

पुत्रान श्री उम्मेद सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम समना रेवाडा, तहसील लाडनू, जिला नागौर ।

3/6. श्रीमती श्योभगवान कंवर पुत्री श्री उम्मेद सिंह(फौत)

3/6/1 दौलत सिंह पुत्र

3/6/2 अनु कंवर पुत्री

3/6/3 अंग्रेज कंवर पुत्री

3/6/4 संजीता पुत्री

3/6/5 गट्टू पुत्री

3/6/6 पुष्पा पुत्री

जाति राजपूत, निवासी ग्रमबोची, उप तहसील नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ ।

3/6/7 श्रीमती पिंकु कंवर पुत्री श्री फतेह सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्रम बोसेरी, पोस्ट लालगढ, तहसील लाडनू, जिला नागौर ।

4. जतन कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री सुमेर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम बुडोद, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
5. तारा कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री मोती सिंह , जाति राजपूत, निवासी ग्रम बुडोद, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
6. श्रीमती लाली कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री देवी सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम ओडिट , तहसील लाडनू , जिला नागौर ।
7. श्रीमती सन्तोष कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम ओडिट, तहसील लाडनू , जिला नागौर ।
8. श्रीमती गंगा कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री इन्द्र सिह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम ननवाण, तहसील लाडनू, जिला नागोर ।
9. शेर सिंह पुत्र स्व. श्री सुमेर सिंह , जाति राजपूत, निवासी ग्रम जुलियासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
10. श्रीमती सुशीला कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री महेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवीस ग्रम ननवण, तहसील लाडनू, जिला नागौर ।

Scanned by CamScanner

11. श्रीमती बरजू कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री ओंकार सिह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम रणसीसर जोधा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर ।
12. श्रीमती आनन्द कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री करी सिंह, जाति राजपूत , निवासी ग्रम शहनाई, तहसील लूणी जिला जोधपुर ।
13. श्रीमती पूनम कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह, जाति राजपूत, निवी ग्रम जुलियासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
14. श्रीमती औम कंवर पुत्री स्व. श्री सुमेर सिंह धर्मपत्नी श्री विरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत , निवासी ग्रम सिडीयास, तहसील कमुचामन, जिला नागौर ।
15. श्रीमती मन्जू कंवर धर्मपत्नी श्री महावीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम जुलियासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पाडन्ट्स

16. सरपंच ग्रम पंचायत तिडोकी बडी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
17. जयपाल सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह , जाति राजपूत, निवासी ग्रम भोजासर, तहसील रतनगढ, जिला चूरू ।

प्रारूपिक रेस्पोडन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनाक 20.10.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त सोगानी
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार/श्री हरलाल सिंह/ श्री जगदीश प्रसाद शर्मा/ श्री विकास सिंह शेखावत

निर्णय

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक – 30.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनाक 20.10.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम जुलियासर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 11, 15, 16, 25, 26, 210, 331 कुल किता 7 कुल रकबा 87.75 हैक्टेयर का खातेदार फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह , जाति राजपूत था । खातेदार फूल सिंह के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम पंचायत तिडोकी बडी द्वारा दिनांक 5.10.2001 को हणुत सिंह, मोती सिंह , सुमेर सिंह पि. फूल सिंह के नाम प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक 5.10.2001 से व्यथित होकर मृतक फूल सिंह की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जोर कंवर द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की , जो उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.7.2015 द्वारा मुताबिक नकल नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक 5.10.2001 ग्रम पंचायत तिडोकी बडी के खसरा नम्बर 11, 15, 16, 25, 26, 210, 331 ग्रम जुलियासर फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के फौत होने पर विरासत हणुतसिंह , मोती सिंह, सुमेर सिंह पि. फूल संह के नाम ग्रम पंचायत द्वारा स्वीकार किये जाने एवं इसके बाद जमाबंदी में उनके नाम खातेदारी में दर्ज हुये हैं । मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र ग्रम पंचायत तिडोकी बडी के फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के हणुत सिंह, मोती सिंह, सुमेर सिंह पुत्रगण के

Scanned by CamScanner

अलावा भंवर कंवर, जोरा कंवर पुत्रियॉ भी वारिस है । अपीलान्ट ने अपील में अंकित वंशावली में भी यहीं कथन दर्शित किया है । इस प्रकार से अपीलान्ट का फूलसिंह की पुत्री होने के कारण विधिक वारिस होना प्रकट होता है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार पैतृक आराजी में पुत्र के समान ही पुत्री का हक अधिकार है । विरासत नामांतरकरण के अवलोकन से स्पष्ट होना कि फूल सिंह की विरासत तीन पुत्र वारिसान के नाम तो ग्रम पंचायत द्वारा स्वीकार कर ली है, लेकिन इसमें अपीलान्ट सहित पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया है जबकि इनका विधिक हक हिस्सा बनता है । पंचायत द्वारा इस संबंध में वारिसान की जॉच की हो, अपीलान्ट की सुनवाई की गई हो , ऐसा भी रिकार्ड पर नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ग्रम पंचायत का उक्त नामांतरकरण स्वीकार करने बाबत आदेश दिनांक 5.10.2001 न्यायोचित प्रतीत नहीं होना एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 15 के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया जाना कि आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनके द्वारा क्रय किया गया है इसलिये उनके हितों की सुरक्षा की जावे । चूंकि भूमिधारी के स्तर से पूरी जॉच व सुनवाई होगी इसलिये वे अपना कथन वहॉ प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वर्णित नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक 5.10.2001 ग्रम पंचायत तिडोकी बडी निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि उभय पक्षकारान की सुनवाई कर व स्व. फूलसिंह के विधिक वारिसान की जॉच कर विधि अनुसार निर्णय पारित करें । उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिक विक्रय पत्रों के क्रेतागण की भी सुनवाई की जावे ।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.7.2015 से प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2015 द्वारा मृतक फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के हणुत सिंह , मोती सिंह पुत्रगा फूल सिंह , जोरा कंवर, भंवर कंवर पुत्रियॉ फूल सिंह एवं मृत पुत्र सुमेर सिंह के वारिस क्रमशः शेर सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जतन कंवर, तारा कंवर, लाली कंवर, सन्तोषकंवर, गंगाकंवर, सुशीला कंवर, बरजू कंवर, आनन्द कंवर, पूनम कंवर, ओम कंवर पुत्रियॉ सुमेर सिंह का विधिक वारिस होना जाहिर होना, चूंकि हणुत सिंह पुत्र फूल सिंह ने उसके द्वारा विकीत भूमि 3.65 हैक्टेयर क्रेतागण के नाम ही दर्ज किये जाने के निवेदन करने तथा उसके द्वारा विक्रीत भूमि का रकबा 3.65 हैक्टेयर भी उसके हिस्से 1/5 की भूमि की सीमा में होने के कारण विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 27.7.2015 विधिक रूप से सही होने से हणुत सिंह के हिस्से 1/5 में 3.65 हैक्टेयर भूमि क्रेतागण लक्ष्मण सिंह राठौड पुत्र रतन सिंह , जयपाल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम दर्ज किया जाना उचित माना है एवं मृतक फूल सिंह पुत्र बेरी साल सिंह की विरासत उसके विधिक वारिसान मोती सिंह पुत्र फूल सिंह हिस्सा 1/5 जोरा कंवर, भंवर कंवर पुत्रियां फूलसिंह हिस्सा 2/5 एवं शेर सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जतन कंवर, तारा कंवर, लाली कंवर, सन्तोष कंवर, गंगा कंवर, सुशीला कंवर, बरजू कंवर, आनन्द कंवर, पूनम कंवर, ओम कंवर पुत्रयॉ सुमेर सिंह हिस्सा 1/5 व हणुत सिंह के हिस्से 1/5 में 3.65 हैक्टेयर भूमि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेतागण के नाम अंकित करते हुये शेष हणुत सिंह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये ।

Scanned by CamScanner

तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.10.205 से व्यथित होकर अपीलान्ट हणुत सिंह वगैहरा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 20.10.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य दावा बाबत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हणुत सिंह बनाम श्रीमती औम कंवर वगैहरा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष विचाराधीन था एवं उक्त दावे में निर्णय दिनांक 30.4.2010 से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किये जाने की स्वीकृति के साथ ही तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेश दिये गये कि वादी के हिस्से में दर्ज भूमि का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शे के 2–2 प्रतियों में न्यायालय को भिजवायें। उप खण्ड अधिकारी के उक्त आदेश के खिलाफ औम कंवर की अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 3.1.2014 द्वारा खारिज करते हुये उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 30.4.2010 यथावत रखे हैं । राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के खिलाफ औम कंवर की अपील राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 29.1.204 द्वारा ग्रहयता के स्तर पर ही निर्णित की जाकर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया गया कि संबंधित तहसीलदार से माननीय राजस्व मण्डल के काश्तकारी नियमों के नियम 18 से 21 के अनुसार तकासमा रिपोर्ट मंगाई जाकर उभयपक्ष की आपत्तियों को सुनते हुये तत्पचात् अंतिम डिक्री पारित की जावे एवं उभयपक्ष को भी निर्देशित किया गया कि वे अपना पक्ष परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें । उनका कहना था कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 29.1.2014 में दिये निर्देशों की पालना में उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने दिनांक 18.6.2015 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित करने के पश्चात् तहसीलदार लक्ष्मणगढ को अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था कि वे निर्णय एवं डिक्री के अधार पर किये गये इन्द्राजात को परिवर्तित करदें । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को भी उप खड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी थी, परन्तु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ कोई अपील प्रस्तुत नही करने से उक्त निर्णय व डिक्री अंतिम हो गई थी और इसके पश्चात् विरासत के नामांतरकरण के संबंध में कोई पृथक निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था , लेकिन तहसीलदार ने विधिक तथ्यों की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है , जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । उनका यह भी कहना था कि नामांतरकरण मात्र एक फिसकल कार्यवाही है, जो नियमित वाद में पारित निर्णय व डिक्री के उपरान्त सहकृषकों के अधिकार घोषित नहीं कर सकता परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने नामांतरकरण की प्रकिया में भू अभिलेख अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.7.15 के द्वारा दिनांक 5.10.2001 से पूर्व की स्थिति को पुर्नप्रभावी होना मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि नियमित वाद मे हुये तकासमें में अपीलार्थी हणुत सिंह के तनहा हिस्से व खातेदारी में खसरा नम्बर 331 रकबा 3.65 हक्टेयर सम्पूर्ण आया

चित्रा संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

और उसके आधार पर हणुत सिंह ने दिनांक 27.7.15 के पंजीकृत विकय पत्र द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी संख्या 2 तथा प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट संख्या 17 को विकय कर कब्जा संभला दिया । अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पांडेन्ट संख्या 17 को नियमित वाद में प्रदत्त किये गये अधिकारों से नामांतकरण की प्रकिया में वंचित नहीं किया जा सकता , परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 20.10.2015 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रेस्पोंडेन्ट्स के पिता फूलसिंह थे जिनके हणुत सिंह, मोती सिंह , सुमेर सिंह पुत्रान एवं जोरा कंवर व भंवर कंवर पुत्रियॉ विधिक वारिस थी, लेकिन ग्रम पंचायत ने फूल सिंह की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा पुत्रियों को छोडते हुये केवल पुत्रों के नाम तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स मृतक खातेदार फूल सिंह की पुत्रियॉ होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिस है एवं अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है । उप खण्ड अधिकारी से प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2005 से मृतक फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के हणुत सिंह , मोती सिंह पुत्रगण फूल सिंह , जोरा कंवर, भंवर कंवर पुत्रियॉ फूल सिंह एवं मृत पुत्र सुमेर सिंह के वारिस कमशः शेर सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जतन कंवर, तारा कंवर, लाली कंवर, सन्तोष कंवर, गंगा कंवर, सुशीला कंवर, बरजू कंवर, आनन्द कंवर, पूनम कंवर, ओम कंवर पुत्रियॉ सुमेर सिंह का विधिक वारिस होना जाहिर होना, चूंकि हणुत सिंह पुत्र फूल सिंह ने उसके द्वारा विकीत भूमि 3.65 हैक्टेयर केतागण के नाम ही दर्ज किये जाने के निवेदन करने तथा उसके द्वारा विकीत भूमि का रकबा 3.65 हैक्टेयर भी उसके हिस्से 1/5 की भूमि की सीमा में होने के कारण विकय पत्र निष्पादित दिनांक 27.7.2015 विधिक रूप से सही होने से हणुत सिंह के हिस्से 1/5 में 3.65 हैक्टेयर भूमि केतागण लक्ष्मण सिंह राठौड पुत्र रतन सिंह , जयपाल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम दर्ज किया जाना उचित माना है एवं मृतक फूल सिंह पुत्र बेरी साल सिंह की विरासत उसके विधिक वारिसान मोती सिंह पुत्र फूल सिंह हिस्सा 1/5 जोरा कंवर, भंवर कंवर पुत्रियां फूलसिंह हिस्सा 2/5 एवं शेर सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जतन कंवर, तारा कंवर, लाली कंवर, सन्तोष कंवर, गंगा कंवर, सुशीला कंवर, बरजू कंवर, आनन्द कंवर, पूनम कंवर, ओम कंवर पुत्रयॉ सुमेर सिंह हिस्सा 1/5 व हणुत सिंह के हिस्से 1/5 में 3.65 हैक्टेयर भूमि मुताबिक रजिस्टर्ड विकय पत्र केतागण के नाम अंकित करते हुये शेष हणुत सिंह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार फूल सिंह की विरासत के नामांतरकरण का है । फूल सिंह की विरासत का नामांतरकरण संख्या 425 ग्रम पंचायत लिडोकी बडी द्वारा दिनांक 5.10.2001 को हणुत सिंह, मोती सिंह , सुमेर सिंह पि. फूल सिंह के नाम प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5.10.2001 से व्यथित होकर मृतक फूल सिंह की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जोर कंवर द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की , जो उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.7.2015 द्वारा मुताबिक नकल नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक 5.10.2001 ग्रम पंचायत तिडोकी बडी के खसरा नम्बर 11, 15, 16, 25, 26, 210, 331 ग्रम जुलियासर फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के फौत होने पर विरासत हणुतसिंह , मोती सिंह, सुमेर सिंह पि. फूल संह के नाम ग्रम पंचायत द्वारा स्वीकार किये जाने एवं इसके बाद जमाबंदी में उनके नाम खातेदारी में दर्ज हुये हैं । मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र ग्रम पंचायत तिडोकी बडी के फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के हणुत सिंह, मोती सिंह, सुमेर सिंह पुत्रगण के अलावा भंवर कंवर, जोरा कंवर पुत्रियॅा भी वारिस है । अपीलान्ट ने अपील में अंकित वंशावली में भी यहीं कथन दर्शित किया है । इस प्रकार से अपीलान्ट का फूलसिंह की पुत्री होने के कारण विधिक वारिस होना प्रकट होता है । हिन्दु उत्तराधिकार अधियिम के प्रावधानानुसार पैतृित आराजी में पुत्र के समान ही पुत्री का हक अधिकार है । विरासत नामांतरकरण के अवलोकन से स्पष्ट होना कि फूल सिंह की विरासत तीन पुत्र वारिसान के नाम तो ग्रम पंचायत द्वारा स्वीकार कर ली है लेकिन इसमें अपीलान्ट सहित पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया है जबकि इनका विधिक हक हिस्सा बनता है । पंचायत द्वारा इस संबंध में वारिसान की जॅाच की हो, अपीलान्ट की सुनवाई की गई हो , ऐसा भी रिकार्ड पर नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ग्रम पंचायत का उक्त नामांतरकरण स्वीकार करने बाबत अ.देश दिनांक 5.10.2001 न्यायोचित प्रतीत नहीं होना एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 15 के अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया जाना कि आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनके द्वारा क्रय किया गया है इसलिये उनके हितों की सुरक्षा की जावे । चूंकि भूमिधारी के स्तर से पूरी जॅाच व सुनवाई होगी इसलिये वे अपना कथन वहॅा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वर्णित नामांतरकरण संख्या 425 दिनांक 5.10.2001 ग्रम पंचायत तिडोकी बडी निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि उभय पक्षकारान की सुनवाई कर व स्व. फूलसिंह के विधिक वारिसान की जॅाच कर विधि अनुसार निर्णय पारित करें । उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में विधिक विक्रय पत्रों के केतागण की भी सुनवाई की जावे । उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.7.2015 से प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2005 द्वारा मृतक फूल सिंह पुत्र बेरीसाल सिंह के हणुत सिंह , मोती सिंह पुत्रगा फूल सिंह , जोरा कंवर, भंवर कंवर पुत्रियॅा फूल सिंह एवं मृत पुत्र सुमेर सिंह के वारिस कमशः शेर सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जतन कंवर, तारा कंवर, लाली कंवर, सन्तोष कंवर, गंगा कंवर, सुशीला कंवर, बरजू कंवर, आनन्द कंवर, पूनम कंवर, ओम कंवर पुत्रियॅा सुमेर सिंह का विधिक वारिस होना जाहिर होना, चूंकि हणुत सिंह पुत्र फूल सिंह ने उसके द्वारा विकीत भूमि 3.65 हैक्टेयर केतागण के नाम ही दर्ज किये जाने के निवेदन करने तथा उसके द्वारा विकीत भूमि का रकबा 3.65 हैक्टेयर भी उसके हिस्से 1/5 की भूमि की सीमा में होने के कारण विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 27.7.2015 विधिक रूप से सही होने से हणुत सिंह के हिस्से 1/5 में 3.65 हैक्टेयर भूमि केतागण लक्ष्मण सिंह राठौड पुत्र रतन सिंह , जयपाल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम दर्ज किया जाना उचित माना है एवं मृतक फूल सिंह पुत्र बेरी साल सिंह की विरासत

Scanned by CamScanner

उसके विधिक वारिसान मोती सिंह पुत्र फूल सिंह हिस्सा 1/5 जोरा कंवर, भंवर कंवर पुत्रियां फूलसिंह हिस्सा 2/5 एवं शेर सिंह पुत्र सुमेर सिंह, जतन कंवर, तारा कंवर, लाली कंवर, सन्तोष कंवर, गंगा कंवर, सुशीला कंवर, बरजू कंवर, आनन्द कंवर, पूनम कंवर, ओम कंवर पुत्रयॉ सुमेर सिंह हिस्सा 1/5 व हणुत सिंह के हिस्से 1/5 में 3.65 हैक्टेयर भूमि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेतागण के नाम अंकित करते हुये शेष हणुत सिंह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार फूलसिंह के हणुत सिंह, मोती सिंह, सुमेर सिंह पुत्रान एवं जोरा कंवर व भंवर कंवर पुत्रियॅा है , लेकिन विरासत के प्रश्नतगत नामांतरकरण में ग्रम पंचायत द्वारा पुत्रियों को छोडते हुये केवल पुत्रों के नाम तस्दीक किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुत्रियॅा भी अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है और तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2015 द्वारा मृतक के सभी पुत्र पुत्रियों एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागण के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये हैं, जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner